

IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE,
SITAMARHI

Dated, Sitamarhi, the 16th May, 2026

Present:- Akhilesh Kumar Jha, Principal District & Sessions, Sitamarhi.

A.B.P. No.- 278/2026

Khalik Khan & ors..........Petitioner.

Vrs.

State of Bihar..... Respondent.

For the Petitioner : Sri, Rakesh Kumar Jha Advocate.

For the State :Sri Praful kumar Jha, P.P. I/C

Date of Order or Proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
16-5-26	आवेदक अभियुक्तगण 1.खालिक खान उर्फ खालिक खॉ 2. रसीदा खातुन की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16.5.26 को आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन करते हैं कि इस वाद में विचारण न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा उपस्थिति हेतु मात्र समन निर्गत हुआ है। जिस कारण आवेदकगण की गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। इस कारण आवेदकगण अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेना चाहते हैं। अतः आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन को वापस करने की कृपा की जाए। विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक प्रस्तुत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का अवलोकन किया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16.5.26 को दाखिल जमानत वापसी आवेदन पत्र के आलोक में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन सं0 278/26 को वापस लिए जाने के आधार पर बिना गुण एवं दोष पर विचार करते हुए खारिज किया जाता है। लेखापित एवं शुद्धिकृत ह0/— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीतामढ़ी दिनांक— 16.4.2026	

--	--	--